न्यायालय उप तहसीलदार तहसील सिंघाना जिला झुन्झुनु

मु0न0 74/17 | किस्म मु0 धारा 91 | पेश्गु दिनांक 28.8.17 | निर्णय दिनांक 4.1.18

उनवान सरकार बनाम ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी ढाणा बुहाना जिला झुन्झुनु

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिकमी अनुपस्थित। मामला संक्षित में इस प्रकार है कि पटवारी ने सम्वत 2074 में इस आश्य की रिर्पोट प्रस्तुत की है कि ग्राम ढाणा की राजकीय भूमि गै0मु0 रास्ता ख0न0 1078 रकबा 0.26 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता मे से 0.01 है0 भूमि पर ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी ढाणा तहसील बुहाना ने अवैध रूप पत्थर छडी अनाधिकृत अतिकमण किया गया है।

रिर्पोट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिकमी की अनुपस्थित रहा।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिकमी द्वारा किया गया अतिकमी जो काबिज नियमन नही है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अत: उक्त अतिकमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिकमी घोषित किया जाता है। व जैर बहस रिर्पोट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिकमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये पत्थर छडी के दण्ड स्वरूप अतिकमण शुदा भूमि के लगान 0.07 की 50 गुणा जुर्माना राशि 4/- रू बतौर शास्ति कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0अ0नि0/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/पत्थर की निलामी/बेदखली/ वसुली/ कर राशि राज कोष में जमा करवाने हेतु लिखा जावे। भू0 अ0नि0 को राजकीय भूमि से अतिकमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामिल दाखिल दफतर हो तथा नम्बर से कम होकर दर्ज फैसला हो।

आज दिनांक 29.1.18 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

ह0
5/1/18

उप तहसीलदार

सिंघाना झुन्झुनु

Scanned with CamScanner